उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2
संख्या-103/ 2020 /1497/92-2-2020-108 जांच/2016
लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर,2020

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-62591/2014- कपिलदेव मद्धेशिया बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10-02-2015 के पश्चात कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड-बलिया से अवर अभियन्ता के पद से सेवानिवृत्त श्री कपिल देव प्रसाद मद्धेशिया के सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान न किये जाने, विलम्ब के समुचित कारणों को मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किये जाने तथा ब्याज के रूप में श्री मद्धेशिया को किये गये भुगतान रू0 3,39,352/- एवं रू0 2,05,667.00 कुल धनराशि रू0 5,45,019/- के शासकीय क्षति हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या -100/2020 / 1424/92-2-20-108जांच/2016, दिनांक 21.08.2020 द्वारा श्री परवेज, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड बलिया के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक नियमावली (अनुशासन एवं अपील),के 1999 नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए जांच के संपादनार्थ वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है।

2- अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान रहने के दौरान अपचारी अधिकारी श्री परवेज, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड–बलिया के अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.08.2020 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही दिनांक 21.08.2020 को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या -103/2020 /1497 (1 (92-2-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता/(पश्चिमी क्षेत्र) , ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- श्री परवेज, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया सम्प्रति से0नि0 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in